रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-19032026-271071
SG-DL-E-19032026-271071

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 82] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2026/फाल्गुन 27, 1947 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 505
No. 82] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2026/PHALGUNA 27, 1947 [N. C. T. D. No. 505

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 16 मार्च, 2026

फा.सं. 2(7)/91-एसीए/बीटीई/खंड-IV/सीडी-033712004/6649—दिनांक 10 जनवरी, 2017 की पूर्ववर्ती अधिसूचना फा.सं. 2(7)/91-एसीए/बीटीई/खंड-II/47 के अधिक्रमण में, दिल्ली के माननीय उप-राज्यपाल एतद द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड (बीटीई) का तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार पुनर्गठन करते हैं:-

क्रमांक	गणमान्य व्यक्ति (पदेन)	बोर्ड में पद
1	तकनीकी शिक्षा मंत्री, दिल्ली	अध्यक्ष
2.	मुख्य सचिव	उपाध्यक्ष
3.	सचिव (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)	सदस्य
4.	निदेशक (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा) सचिव-बीटीई होने के नाते	सदस्य
5.	आयुक्त (उद्योग)	सदस्य

6.	कुलपति, जी.जी.एस.आई.पी.यू.	सदस्य
7.	कुलपति, डी.टी.यू.	सदस्य
8.	कुलपति, एन.एस.यू.टी.	सदस्य
9.	कुलपति, डी.आई.पी.एस.आर.यू.	सदस्य
10.	क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू	सदस्य
11.	कुलपति, डी.एस.ई.यू.	सदस्य
12.	निदेशक-आई.आई.आई.टी., दिल्ली	सदस्य
13.	नियंत्रक-बी.टी.ई.	सदस्य-सचिव

नामित सदस्य

क्रमांक	**गणमान्य व्यक्ति (नामित)**	**बोर्डमेंपद**
14.	सुश्री नीलम पहलवान, विधायक,विधान सभा क्षेत्र-35 (नजफगढ़)	सदस्य
15.	श्री रविकांत, विधायक, विधान सभा क्षेत्र -55 (त्रिलोकपुरी)	सदस्य
16.	बी.आई.एस., दिल्ली के नामित व्यक्ति	सदस्य
17.	सी.आई.आई., दिल्ली के नामित व्यक्ति	सदस्य
18.	फिक्की, दिल्ली के नामित व्यक्ति	सदस्य
19.	श्री सुमित गोयल, उद्योगपति, उद्योग के नामित व्यक्ति, बी-109, सेक्टर-3, डीएसआईआईडीसी, औद्योगिक क्षेत्र बवाना, दिल्ली-110039	सदस्य
20.	श्री श्यामसुंदर जिंदल सीए, उद्योगपति, उद्योग के नामित व्यक्ति, शेड 11, डीएसआईआईडीसी, वज़ीरपुर औद्योगिक क्षेत्र, दिल्ली-110052	सदस्य

बोर्ड के कार्य तथा कर्तव्य

इस संविधान और इसके अंतर्गत बनाए गए उपविधियों और विनियमनों के प्रावधानों के अधीन, बोर्ड के कार्य और कर्तव्य निम्नलिखित होंगे:-

i) एआईसीटीई द्वारा अनुमोदित संस्थानों को राज्य स्तरीय समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर संबद्धता प्रदान करना, ताकि एआईसीटीई द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए अध्ययन पाठ्यक्रमों और अनुदेशों को निर्धारित किया जा सके।

ii) एआईसीटीई के मानदंडों को ध्यान में रखते हुए संबद्ध संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए शैक्षिक और अन्य योग्यताओं को निर्धारित करना।

iii) राज्य सरकार की नीति को ध्यान में रखते हुए संबद्ध संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के तरीके को निर्धारित करना।

iv) इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उम्मीदवारों को प्रवेश देना ।

v) निम्न से उच्च कक्षाओं/सेमेस्टरों में पदोन्नति के लिए और प्रमाण पत्र, डिप्लोमा तथा पोस्ट-डिप्लोमा प्रदान करने हेतु परीक्षाएं आयोजित करना;

vi) इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित करना;

vii) किसी संबद्ध संस्थान में निर्धारित पाठ्यक्रम पूर्ण कर चुके तथा इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण हो चुके छात्रों को प्रमाण पत्र, डिप्लोमा और पोस्ट डिप्लोमा प्रदान करना;

viii) बोर्ड के संविधान के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक तरीके से और ऐसे उद्देश्यों के लिए अन्य प्राधिकरणों और निकायों के साथ समन्वय करना;

ix) तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण के समन्वित विकास के संबंध में प्रशासक को सलाह देना;

x) इस संविधान या इसके अंतर्गत बनाए गए उपविधियों या विनियमनों के अन्तर्गत अपने कार्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्य और चीजें करना; और

xi) इस संविधान या इसके अंतर्गत बनाए गए उपविधियों या विनियमनों के अन्तर्गत इसे सौंपे गए अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उन के नाम पर,

एंजेल भाटी चौहान, निदेशक, टीटीई

DEPARTMENT OF TRAINING AND TECHNICAL EDUCATION

NOTIFICATION

Delhi, the 16th March, 2026

F. No. 2(7)/91-Aca/BTE/VOL-IV/CD-033712004/6649—In supersession of earlier notification No. F.No.2(7)/91-Aca/BTE/VOL-II/47, dated 10th January 2017, the Hon'ble Lieutenant Governor of Delhi is pleased to re-constitute the Board of Technical Education (BTE) for the National Capital Territory of the Delhi with immediate effect as under:-

S. No.	Dignitary (Ex-Officio)	Status in the Board
1.	Minister of Technical Education, Delhi	Chairperson
2.	Chief Secretary	Vice-Chairperson
3.	Secretary, (Trg. & Tech. Edn.)	Member
4.	Director, (Trg. & Tech. Edn.) being Secretary-BTE	Member
5.	Commissioner (Industries)	Member
6.	Vice-Chancellor, GGSIPU	Member
7.	Vice-Chancellor, DTU	Member
8.	Vice-Chancellor, NSUT	Member
9.	Vice-Chancellor, DIPSRU	Member
10.	Regional Director, IGNOU	Member
11.	Vice-Chancellor, DSEU	Member
12.	Director-IIIT, Delhi	Member
13.	Controller-BTE	Member-Secretary

Nominated Members

S. No.	Dignitary (Nominated)	Status in the Board
14.	Ms. Neelam Pahalwan, MLA AC-35 (Najafgarh)	Member
15.	Sh. Ravi Kant, MLA AC-55 (Trilokpuri)	Member
16.	Nominee of BIS, Delhi	Member
17.	Nominee of CII, Delhi	Member
18.	Nominee of FICCI, Delhi	Member
19.	Sh. Sumit Goel, Industrialist, Nominee of Industry, B-109, Sector-3, DSIIDC, Industrial Area Bawana, Delhi-110039.	Member
20.	Sh. Shyam Sunder Jindal CA, Industrialist, Nominee of Industry, Shed 11, DSIIDC, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110052	Member

FUNCTIONS AND DUTIES OF THE BOARD

Subject to the provision of this Constitution and the bye-laws and regulations made there under, the functions and the duties of the Board shall be:-

i) to grant affiliation to institutions approved by the AICTE on the recommendations given by the State Level Committee to prescribe courses of study and instructions leading to examinations conducted by it.

ii) to prescribe educational and other qualifications for admission of students to affiliated institutions taking cognizance of the AICTE norms.

iii) to prescribe the manner of admission of students to affiliated institutions taking cognizance of policy of State Govt.

iv) to admit candidates to examinations conducted by it.

v) to conduct examinations for promotion from lower to higher classes/semesters and also for awarding certificates, diplomas & post-diploma;

vi) to publish results of examinations conducted by it;

vii) to grant certificates, diplomas and post diplomas to students who have completed the prescribed course of study in an affiliated institution and have passed the examinations conducted by it;

viii) to co-ordinate with other authorities and bodies in such manner and for such purposes as may be necessary for giving effect to the provisions of the constitutions of the Board;

ix) to advise the Administrator on the co-ordinate development of technical education and training;

x) to do all other such acts and things as may be necessary for the proper discharge of its functions under this constitution or the bye-laws or regulations made there under; and

xi) to carry out such other duties as may be imposed upon it under this constitution or the bye-laws or regulations made there under.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of National Capital Territory of Delhi,

ANGEL BHATI CHAUHAN, Director, TTE

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2026.03.19 16:43:40 +05'30'